

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018 / पी.बी.आर. / निगरानी

निगरानी- 3834/2018 | ग्वालियर | भूयः

- 1- श्रीमती नीलम कालरा पत्नी श्री पवन कालरा
- 2- श्रीमती लीना कालरा पत्नी श्री चन्दन कालरा
निवासीगण-11-B, बसंत विहार कॉलोनी, लश्कर,
ग्वालियर हाल निवासीगण-डी.बी. सिटी कॉलोनी,
सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर

—निगरानीकर्तागण

श्री कज्ज वामा कामो
ज. अ. प्र. दि. 15-6-18 को
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 5-7-18 नियत।
वकालत
वकालत ऑफ कोर्ट 15-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

- 1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
झांसी रोड, ग्वालियर
- 2- तहसीलदार, वृत्त औहदपुर, तहसील व जिला
ग्वालियर

—प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता विरुद्ध
आदेश अनुविभागीय अधिकारी, झांसी रोड, ग्वालियर पारित आदेश
दिनांक 17-4-2018 प्रकरण क्रमांक 75/2017-18/बी-121
न्यायालय तहसीलदार वृत्त औहदपुर, तहसील व जिला ग्वालियर

श्रीमान्,

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-



प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

- 1- यहकि, निगरानीकर्ता व अन्य के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की ग्राम औहदपुर परगना व जिला ग्वालियर में भूमि सर्वे क्रमांक 265 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा व सर्वे क्रमांक 273 रकवा 6 बीघा 12 विस्वा थी और उक्त भूमि निगरानीकर्ता द्वारा पूर्व अभिलिखित भूमि स्वामियों से कय की जाकर विधिवत् उस पर अपना नाम इन्द्राज कराया गया और प्रार्थी उस पर स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्यधारी होकर रिकॉर्डेड भूमि सवामी है।
- 2- यहकि, तहसीलदार ग्वालियर द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर निगरानीकर्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3834/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये ।</p> <p></p>	<p> अध्यक्ष</p>